शोध प्रतिवेदन

"उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयी शिक्षकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन।"

निर्देशिका
डॉ. एकता पारीक
(प्राचार्या)

प्रस्तुतकर्त्री
सुमन सैनी
(एम.एड. छात्रा)

बियानी गर्ल्स बी.एड़ कॉलेज, जयपुर(राजस्थान)

(सत्र 2015-17)

1 प्रस्तावना–

मनुष्य प्रत्येक कार्य का क्रियान्वयन एक व्यवस्थित तरीके से करता है। वह किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी योजना बनाता है कि उसे वह कार्य किस प्रकार से करना है। इसी प्रकार भारत में भी भारतीय नागरिकों को आर्थिक रूप से व्यवस्थित करने हेतु समय–समय पर अनेक योजनाओं का निर्माण किया गया है।

राष्ट्र सम्पूर्ण देश के नागरिको की भलाई के लिए योजना बनाता हैं राष्ट्र के सम्पूर्ण साधनों को संगठित करके देश के प्रत्येक नागरिक की भलाई के लिए उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाये। साधनों में वृद्वि कैसे की जाये और नागरिको को कैसे सुखी बनाया जाये। ये ही योजना के मुख्य लक्ष्य है योजना आर्थिक मुद्दों को निपटाने, चेतन रूप से माँग और आपूर्ति की शक्तियों को नियंत्रित करने का तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा जन–जन की भलाई संपादित करने का एक वैज्ञानिक मार्ग है।

भारत में योजना की आवश्यकता इसलिए है कि इसका मुख्य लक्ष्य एक समाजवादी समाज की स्थापना करना है जिसमें ऊँच–नीच, बडे.–छोटे का भेदभाव

न हो, सबको समान अधिकार उपलब्ध हों।संपनता प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध हो। इस हेतु 1950 में देश के विकास की योजनाये बनाने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई जिसका नाम वर्तमान में बदल कर नीति आयोग हो गया है। यह आयोग सारे देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनाता है योजनाओं का उद्देश्य देश की प्रगति करना और नागरिको को एक सम्पन्न जीवन प्रदान करना है।

वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु अनेक योजनाएँ चला रहे हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है– ''प्रधानमंत्री जन–धन योजना''।प्रधानमंत्री जन–धन योजना एक ऐसा वित्तीय समावेशन है जिसके द्वारा प्रत्येक भारतीय को बैंक से जोड़ा जा रहा है ताकि वह आर्थिक रूप से समृद्ध बन सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को नई दिल्ली के लाल किले से जनसाधारण को संबोधित करते हुए इस योजना की घोषणा की थी। 28 अगस्त, 2014 को इस योजना के उद्घाटन के साथ ही भारत में लगभग 1 करोड़ लोगों का बैंक अकाउण्ट खोला गया। यह अकाउण्ट जीरो बैलेंस पर खोला गया था ताकि प्रत्येक भारतीय का अपना एक बैंक अकाउण्ट हो जिसमें वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचा कर उसमें डाल दे। इस हेतु सरकार ने लगभग 60 हजार कैम्प लगाए और लोगों को इस योजना से अवगत कराने की कोशिश की।

भारत में अंतिम स्तर तक विकास लाने के लिए मुद्रा बचत योजना बहुत जरूरी है जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगो में अपने बचत के बारे में अधिक सर्तक बनाने के द्वारा शुरूआत और प्राप्त किया जा सकता है।भारत के गरीब लोगो को खोले गये खातों के सभी लाभ देने और बैंक खाता से उनको जोड़ने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा खासतौर से बनायी गयी खाता खोलने वाली और पैसा बचत स्कीम है –**जन धन योजना ।**

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संचालित किया गया। यह अनूठा प्रयास प्रधानमंत्री जन–धन योजना के रूप में जनता को सक्षम व आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में सफल हो रहा है जिसके भविष्य में सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो सकेंगे।

5.2 समस्या का औचित्य –

प्रत्येक कार्य को करने के लिए कोई न कोई कारण होता है। उसी प्रकार मेरी समस्या के पीछे भी एक कारण निहित है। सरकार अनेक योजनाएँ चलाती है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके, परन्तु इन योजनाओं के प्रति वे अगर जागरूक ही नहीं होंगे तो वे इन योजनाओं का लाभ केसे उठा सकेंगे और समाज में जागरूकता लाने में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि वही समाज एवं भावी पीढ़ी का निर्माता होता है। अतः शिक्षक इन योजनाओं को लेकर कितने जागरूक हैं तथा उनकी क्या अभिवृत्ति है, यह जानना आवश्यक है। अतः शोधकर्त्री द्वारा चयनित प्रधानमंत्री जन–धन योजना के प्रति अध्यापक क्या सोचते हैं तथा इसके बारे में कितना जानते हैं, उनकी क्या अभिवृत्ति है, यही जानने हेतु इस विषय का चयन किया गया है।

इस समस्या से सम्बन्धित कतिपय प्रश्न जो शोधकर्त्री के मस्तिष्क में उत्पन्न हुए निम्न है–

1. क्या राजकीय विद्यालयों के शिक्षक प्रधानमंत्री जन–धन योजना को गंभीरता से लेते हैं?
2. क्या प्रधानमंत्री जन–धन योजना के प्रति शिक्षक जागरूक है?
3. क्या प्रधानमंत्री जन–धन योजना अन्य सरकारी योजनाओं की तरह केवल खानापूर्ति के रूप में रह गयी है?
4. प्रधानमंत्री जन–धन योजना से अभिप्रेरित होकर शिक्षक, अपने विद्यालय में संचयी खाता की व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं?
5. क्या विद्यालय प्रबन्धन प्रधानमंत्री जन–धन योजना के प्रति सकारात्मक सहयोग की प्रवृत्ति रखता है या नहीं?
6. क्या शिक्षक छात्रों को प्रधानमंत्री जन–धन योजना के प्रति जागरूकता विकसित करते हैं या नहीं?

5.3 समस्या कथन –

''उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयी शिक्षकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन।''

5.4 प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य –

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्न प्रकार से है –

1. उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी एवं सरकारी विद्यालयी शिक्षकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
3. उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
4. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी अध्यापकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
5. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
6. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी अध्यापकों एवं गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्तिका अध्ययन करना।
7. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाओं एवं गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

5.5 परिकल्पनाएँ–

प्रस्तुत अध्ययन की परिकल्पनाएँ निम्न प्रकार से है –

1. उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी एवं सरकारी विद्यालयी शिक्षकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
3. उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।

4. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी अध्यापकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
5. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
6. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी अध्यापकों एवं गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
7. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाओं एवं गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।

5.6 महत्व–

प्रस्तुत शोध प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति जानने में महत्वपूर्ण साबित हो सकेगा साथ ही अन्य योजनाओं के प्रति शिक्षकों को अभिवृत्ति जानने हेतु प्रेरित कर सकेगा। शिक्षकों को इन योजनाओं से जुडने हेतु अनेक कार्यक्रम जैसे कार्यशाला, संगोष्ठी आदि का विद्यालयी स्तर पर आयोजन किया जा सकता है ताकि भविष्य में इस योजना की सफलता में सहयोग कर सके एवं इस योजना से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान कर सकने का प्रयास कर सके।

5.7 तकनीकी शब्दों की व्याख्या –

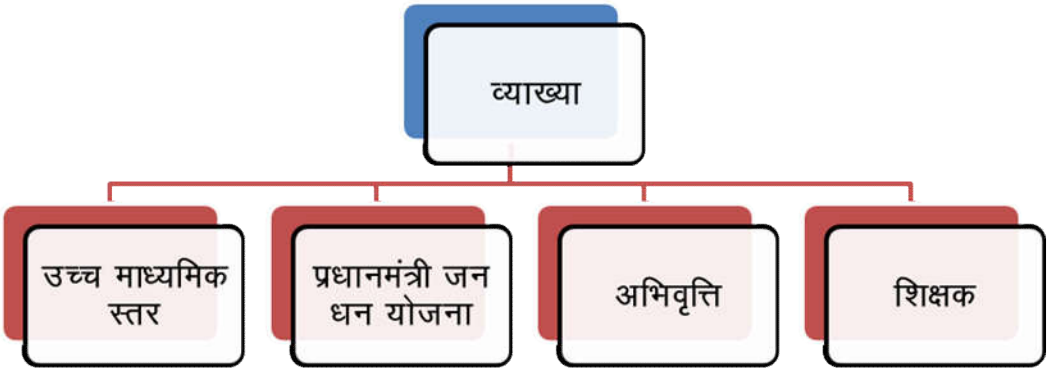

1. **उच्च माध्यमिक स्तर –**

इस शब्द का तात्पर्य है कि उच्च माध्यमिक स्तर की पाठशाला का वह भाग जिसमें कक्षा 11 व 12 को सम्मिलित किया जाता है।

2. **प्रधानमंत्री जन धन योजना–**

प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी द्वारा 28 अगस्त, 2014 को इस योजना का उद्घाटन किया था ताकि प्रत्येक भारतीय जीरो बैलेंस पर बैंक में अकाउण्ट खुलवा सके और आर्थिक रूप से सबल बन सके।

3. **अभिवृत्ति –**

अभिवृत्ति एक प्राणी की किसी एक विषयवस्तु व व्यक्ति के प्रति एक विशेष अर्जित अनुभवबद्ध तथा स्थिरीकृत संवेगात्मक प्रवृत्ति होती है। अभिवृत्ति मन की वह विशेषवृत्ति है जो किसी घटना, विचार के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है।

4. **शिक्षक –**

विद्यालय में अध्यापन कार्य करवाने वाले व्यक्ति को शिक्षक कहा जाता है।

5.8 अनुसन्धान की विधि –

प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति एवं प्रस्तावित उद्देश्यों को देखते हुए इस अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग दत्त संकलन हेतु किया गया है।

5.9 अनुसन्धान के चर –

स्वतन्त्र चर –उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी व सरकारी शिक्षक।

आश्रित चर – प्रधानमंत्री जन धन योजना।

5.10 प्रदत्तों के स्त्रोत –

प्राथमिक स्त्रोत – उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक व अध्यापिकाओं।

द्वितीयक स्त्रोत – जन–धन योजना की बुकलेट, पत्र–पत्रिकाएँ, पुस्तकें आदि।

5.11 प्रदत्तों की प्रकृति –

प्रस्तुत शोध में प्रदत्तों की प्रकृति मात्रात्मक एवं गुणात्मक है।

5.12 परिसीमन–

शोधकार्य की परिसीमा से तात्पर्य है कि आमुख शोधकर्ता की सीमा निर्धारित की जाएं अपितु सीमा निर्धारण के अभाव में शोधकार्य विस्तृत तथा असीमित हो जाता है ंसमस्या के परिसीमन से समस्या अध्ययन की गहनता से हो जाता है तथा उसकी उपयोगिता बढ़ती है। अनुसंधान प्रक्रिया को निश्चित परिणामों तक पहुंचाने हेतु या अध्ययन को विश्वनीय एवं वैध बनाने के लिए भी समस्या को परिधि में बांधना आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत शोधकार्य का परिसीमन शोधकर्ता ने धन, समय सीमित साधन एवं क्षमता के अनुसार निम्न बिन्दुओं से अंकित किया है –

1. प्रस्तुत शोध जयपुर जिले के उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों तक सीमित है।
2. इस शोध में जयपुर जिले के 5 सरकारी व 5 गैर सरकारी विद्यालयों का चयन किया जायेगा।
3. शोध गैर सरकारी व सरकारी विद्यालयों के अध्यापक व अध्यापिकाओं तक सीमित है।
4. प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष हेतु मध्यमान, प्रमाणिक विचलन व टी–परीक्षणसांख्यिकी का प्रयोग किया जायेगा।

5.13 जनसंख्या –

प्रस्तुत शोध में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक व अध्यापिकाओं का चयन जनसंख्या के रूप में किया गया।

5.14 न्यादर्श–

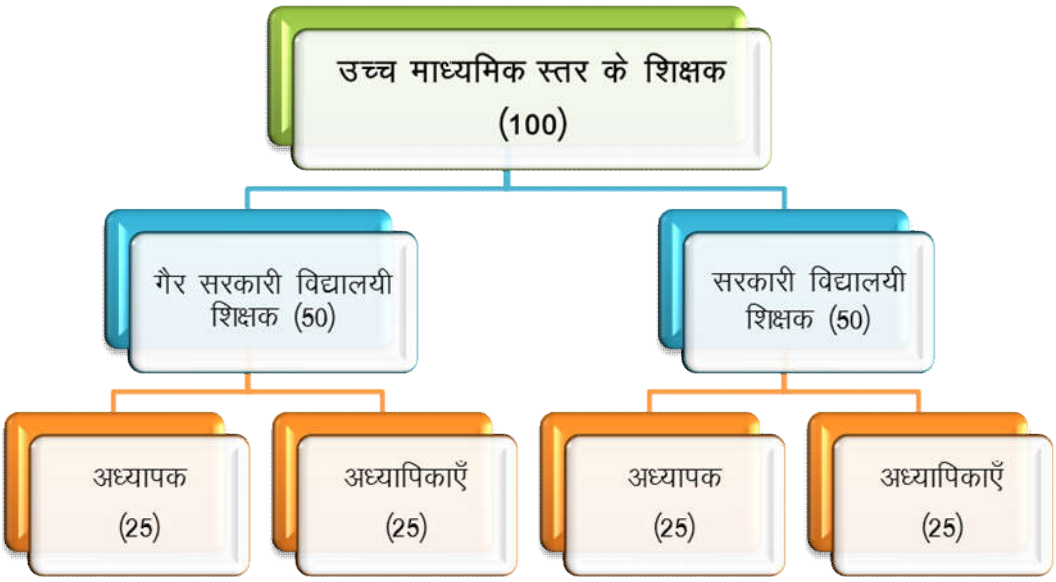

5.15 उपकरण –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में अप्रमापीकृत स्वनीर्मित प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग किया गया है।

5.16 सांख्यिकी –

सांख्यिकी अनुसंधान का आधार है। अतः सांख्यिकी की आवश्यकता आँकड़ों के संकलन में भी होती है। अनुसंधान प्रक्रिया में प्राप्त आँकड़ों के प्रस्तुतीकरण तथा व्यवस्थापन के पश्चात विभिन्न सांख्यिकी मानों की गणना की आवश्यकता पड़ती है। प्रस्तुत अध्ययन की सांख्यिकी निम्नानुसार है–

5.17 परिकल्पनाओं के आधार पर निष्कर्ष :–

परिकल्पना :– 1

उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी एवं सरकारी विद्यालयी शिक्षकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है

परिकल्पना संख्या 1 में गैर सरकारी एवं सरकारी उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयी शिक्षकों का मध्यमान क्रमशः 14.76 व 21.24 प्राप्त हुआ जबकि प्रमाणिक विचलन का मान क्रमशः 0.93 व 0.47 प्राप्त हुआ। दोनों समूह के मध्यमानों व प्रमाणिक विचलन के मध्य तुलना करने पर टी–अनुपात का मान 6.11 प्राप्त हुआ जो कि सार्थकता स्तर 0.05 (1.98) पर अस्वीकृत है। तालिका में 98 के सामने 0.05 का मान 1.98 है जबकि गणना से प्राप्त मान अधिक है। अतः शोध कार्य हेतु निर्मित परिकल्पना उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी एवं सरकारी विद्यालयी शिक्षकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है, अस्वीकृत की जाती है अर्थात् गैर सरकारी एवं सरकारी विद्यालयी शिक्षकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया जाता है। सरकारी विद्यालयी शिक्षक इस योजना के प्रति अधिक जागरूक पाये गये हैं जबकि गैर सरकारी विद्यालयी शिक्षक इन योजनाओं के प्रति कम जागरूक है क्योंकि गैर सरकारी

विद्यालयी प्रबंधन अपने विद्यालय में योजनाओं के प्रति जागरूकता सम्बन्धी किसी भी प्रकार कार्यक्रम का आयोजन नहीं करते है।

परिकल्पना–2

उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है

परिकल्पना संख्या 2 में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का मध्यमान क्रमशः 21.68 व 20.8 प्राप्त हुआ, जबकि प्रमाणिक विचलन का मान क्रमशः 0.41 व 0.85 प्राप्त हुआ। दोनों समूह के मध्यमान व प्रमाणिक विचलन की तुलना करने पर टी का मान 0.91 प्राप्त हुआ है जो कि सार्थकता के स्तर 0.05 (2.01) पर स्वीकृत है। तालिका में 48 के सामने 0.05 का मान 2.01 अधिक है। अतः शोध कार्य के लिए पूर्व में रचित शून्य परिकल्पना सरकारी उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है, स्वीकृत की जाती है अर्थात् सरकारी विद्यालयी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं दोनों ही प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति जागरूक हैं इन शिक्षकों ने स्वयं जन धन खाते खुलवा भी रखे है एवं बचत के रूप में अपने विद्यालयों में संचयी खातों की व्यावस्था भी कर रखी है।

परिकल्पना–3

उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है

परिकल्पना संख्या 3 में गैर सरकारी उच्च माध्यमिक स्तर के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का मध्यमान क्रमशः 20.6 व 8.92 प्राप्त हुआ, जबकि प्रमाणिक विचलन का मान क्रमशः 0.64 व 0.59 प्राप्त हुआ। दोनों समूहों के मध्यमान व प्रमाणिक विचलन की तुलना करने पर टी अनुपात 13.27 प्राप्त हुआ जो कि 0.05 (2.01) सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत है। अतः शोध कार्य हेतु पूर्व निर्मित शून्य परिकल्पना उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं

है, अस्वीकृत होती है। अध्यापकों की अपेक्षा अध्यापिकाओं में जागरूकता का स्तर निम्न पाया गया क्योंकि अध्यापिकाएँ इस योजना को अपने कार्य से सम्बन्धित नहीं मानती हैं।

परिकल्पना–4

''उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी अध्यापकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।''

परिकल्पना संख्या 4 में उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान क्रमशः 21.68 व 20.6 प्राप्त हुआ है जबकि प्रमाणिक विचलन क्रमशः 0.41 एवं 0.64 प्राप्त हुआ है। दोनों समूहों के मध्यमान व प्रमाणिक विचलन के मध्य तुलना करने पर टी अनुपात 1.38 प्राप्त हुआ है जो सार्थकता स्तर 0.05 (1.38) पर स्वतन्त्रता की कोटि 48 के सामने 2.01 मान से कम है। अर्थात् सारणी मान (2.01) से गणना से प्राप्त मान (1.38) कम है।निष्कर्ष के रूप में यह कहा जाता है किअतः शोध कार्य हेतु पूर्व में निर्धारित शून्य परिकल्पना उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है, स्वीकृत होती है अर्थात् सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही समूह प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति जागरूक हैं।

परिकल्पना–5

''उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।''

परिकल्पना संख्या 5 में सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाओं का मध्यमान क्रमशः 20.8 व 8.92 प्राप्त हुआ है, जबकि प्रमाणिक विचलन का मान क्रमशः 0.85 एवं 0.59 प्राप्त हुआ है। दोनों समूहों के मध्यमान व प्रमाणिक विचलन की तुलना करने पर टी अनुपात का मान 11.38 प्राप्त हुआ जो कि स्वतन्त्रता कोटि 48 पर सार्थकता स्तर 0.05 के मान 2.01 से अधिक है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जाता है किअतः शोध कार्य हेतु पूर्व में निर्धारित शून्य परिकल्पना उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है, अस्वीकृत होती है अर्थात् सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाएँ इस योजना के प्रति अधिक जागरूक हैं जबकि गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाएँ कम जागरूक हैं अर्थात् इनमें जागरूकता स्तर निम्न है क्योंकि वे इस योजना को अपने काम से सम्बन्धित नहीं मानती है।

परिकल्पना–6

''उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी अध्यापकों एवं गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।''

परिकल्पना संख्या 6 में उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी अध्यापकों एवं गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाओं का मध्यमान क्रमशः 21.68 व 8.92 प्राप्त हुआ है, जबकि प्रमाणिक विचलन का मान क्रमशः 0.41 व 0.59 प्राप्त हुआ है। दोनों समूहों के मध्यमान व प्रमाणिक विचलन का तुलनात्मक अध्ययन करने पर टी अनुपात का मान 17.72 प्राप्त हुआ जो स्वतन्त्रता कोटि 48 पर सार्थकता स्तर 0.05 के मान 2. 01 से अधिक हैंनिष्कर्ष के रूप में यह कहा जाता है किअतः शोध कार्य हेतु पूर्व निर्धारित शून्य परिकल्पना उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी अध्यापकों गैर सरकारी

विद्यालयी अध्यापिकाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है, अस्वीकृत होती है अर्थात् सरकारी अध्यापक इस योजना के प्रति जागरूक हैं जबकि गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाओं में इस योजना के प्रति जागरूकता का स्तर निम्न है क्योंकि ये पाठ्यक्रम पूरा कराने में अधिक व्यस्त रहते हैं।

परिकल्पना–7

''उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाओं एवं गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।''

परिकल्पना संख्या 7 में उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाओं एवं गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान क्रमशः 20.8 व 20.6 प्राप्त हुआ है, जबकि प्रमाणिक विचलन का मान 0.85 व 0.64 प्राप्त हुआ है। दोनों समूहों के मध्यमान व प्रमाणिक विचलन के मध्य तुलना करने पर टी अनुपात 0.18 प्राप्त हुआ है जो सार्थकता स्तर 0.05 के मान 2.01 से कम प्राप्त हुआ है।निष्कर्ष के रूप में यह कहा जाता है किअतः शोध कार्य हेतु पूर्व में निर्धारित शून्य परिकल्पना उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाओं एवं गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है, स्वीकृत होती है अर्थात् दोनों समूह इस योजना के प्रति जागरूक हैं क्योंकि वे समाचार पत्र एवं सोश्ल मिडिया के द्वारा इस योजना के बारे में जानकारी रखते है। साथ ही अन्य लोगों को भी जागरूक कर रहे है।

5.18 निष्कर्ष :–

प्रस्तुत शोध कार्य सरकारी एवं गैर सरकारी उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयी शिक्षकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति जानने का एक लघु प्रयास है। इस शोधकार्य के परिणाम इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से अधिकांश परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति का स्तर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को गैर सरकारी

विद्यालयी शिक्षको से उच्चतर है (विशेषकर अध्यापिकाओं में सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाओं को गैर सरकारी विद्यालयी अध्यापिकाओं से अभिवृत्ति स्तर उच्चत्तर है।) इसका प्रमुख कारण शोधकार्य के दौरान शिक्षकों से अन्तःक्रिया करने पर प्राप्त हुआ कि योजनाओं के प्रति निजी क्षेत्र का प्रबंधन पक्ष विशेष ध्यान नहीं देता है। योजनाओं को अधिकांशतः शिक्षकों को खानापूर्ति के रूप में सौंपी जाती है अर्थात् उन्हें ये योजनाएं बोझ समान प्रतीत होती हैं। गैर सरकारी शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यभार उन्हें अधिक व्यस्त रखता है साथ ही योजना के प्रति जागरुकता भी कम रखते थे। जबकि सरकारी विद्यालयी शिक्षकों की अभिवृत्ति सकारात्मक है। इन शिक्षकों से बातचीत करने पर मालूम चला कि वे सरकार की सभी योजनाओं के प्रति जागरूकता रखते हैं एवं बचत के रूप में अपने विद्यालयों में भी संचयी खातों की व्यवस्था भी करवा रखी है । तथा ये विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को भी इन योजनाओं से लाभान्वित होने हेतु जागरूक करते हैं।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता लायी जाये तो सरकार की सभी योजनाएं सफलतम रूप में क्रियान्वित हो सकेंगी एवं अपने उद्देश्यों की पूर्ति भी कर सकेंगे।

5.19 शैक्षिक निहितार्थ

विद्यालय प्रशासन हेतु सुझाव :

विद्यालय प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यालय प्रशासन ही इन योजनाओं से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर सकते है। अतः विद्यालय प्रशासन को सरकारी योजनाओं संबंधित कार्यशाला, सेमीनार जैसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि शिक्षक शिक्षार्थी एवं समाज का अन्य वर्ग इन योजनाओं के प्रति जागरूक हो सकें।

अध्यापकों हेतु सुझाव :

जैसा कि हम सभा जानते है कि समाज में जागरूकता लाने का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षकों द्वारा ही संभव है। अतः शिक्षकों को स्वयं ऐसी योजनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए ताकि वे अपने विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों को भी इन योजनाओं के प्रति जागरूक कर सकें, शिक्षकों द्वारा योजनाओं से संबंधित क्विज, परिचर्चा, दल शिक्षण, पैनल परिचर्चा जेसे कार्यक्रम विद्यालय में कक्षानुसार करवाकर

विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना चाहिए।

सरकार व नीति निर्माताओं को सुझाव :

सरकार नीति निर्माताओं को योजनाएँ क्रियान्वित करने के साथ–साथ इनसे संबंधित जागरूकता कार्यक्रम करवाने चाहिए इसके लिए विद्यालयी शासन को इसमें सम्मिलित करना चाहिए और जो विद्यालय इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभायें उसे प्रोत्साहित करते हुए पुरस्कृत भी करना चाहिए। ताकि भविष्य में इस योजना की सफलता में सहयोग कर सकें एवं इस योजना में संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकने का प्रयास कर सकें।

5.20 भावी अनुसंधान हेतु सुझाव :–

कोई भी शोध कार्य अपने आप में सम्पूर्णता लिए नहीं हो सकता है। प्रस्तुत शोध कार्य भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति जानने का एक लघु प्रयास है। भावी शोधकत्री या शोध कर्त्ता इस संबंध में अध्ययन के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर गौर कर सकते हैं :–

1. प्रस्तुत शोध में उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की अभिवृत्ति जाननी चाही है जबकि माध्यमिक स्तर के एवं प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की अभिवृत्ति भी जानी जा सकती है।
2. प्रस्तुत शोध कार्य में न्यादर्श 100 लिया गया है जबकि भावी शोध कार्य विस्तृत न्यादर्श लेकर किया जा सकता है।
3. विद्यार्थियों की अभिवृत्ति भी जानी जा सकती है।
4. विद्यार्थियों के अभिभावकों की अभिवृत्ति भी जानने हेतु शोध कार्य किया जा सकता है।
5. प्रस्तुत शोध केवल शिक्षकों पर किया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में कार्यरत्त कर्मचारियों की प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया जा सकता है।
6. प्रस्तुत शोध जयपुर शहर के विद्यालयी अध्यापकों पर किया गया है।
7. भावी शोधार्थी द्वारा अन्य शहरों के अध्यापकों पर भी ये शोध कार्य किया जा सकता है।

8. अन्य राज्यों के अध्यापकों की प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
9. न्यादर्श के स्वरूप के आधार पर अन्य सांख्यिकी का प्रयोग किया जा सकता है।
10. प्रस्तुत शोध में केवल प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अध्यापक अभिवृत्ति का ही अध्ययन किया गया है जबकि प्रधानमंत्री जनधन योजना के प्रति जागरूकता एवं शिक्षण संस्थाओं के प्रति जागरूकता एवं शिक्षण संस्थाओं में संचयी खातों की व्यवस्था इत्यादि प्रकरणों का भी अध्ययन किया जा सकता है।
11. सरकार की अन्य योजनाओं के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन किया जा सकता है।

5.21उपसंहार :–

प्रस्तुत शोध शिक्षकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति अभिवृत्ति के स्तर से संबंधित है। शिक्षक ही समाज की धुरी होता है। एक राष्ट्र का भाग्य विधाता होता है। शिक्षक यदि सरकार की योजनाओं को गंभीरता से लेते हुए अपना शत–प्रतिशत योगदान प्रदान करे तो वो दिन दूर नहीं; जब भारत विकसित देशों में सबसे आगे होगा। भारत की अर्थव्यवस्था तभी सुदृढ़ हो सकेगी जब सरकार द्वारा चलायी गई योजनाओं के प्रति लोग जागरूक हो और उन्हें जागरूक एक शिक्षक ही कर सकता है। अतः शिक्षकों को स्वयं योजनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रति शिक्षकों ने उच्चतम सकारात्मक अभिवृत्ति प्रदर्शित की है। शिक्षकों की इसी अभिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए शोधकत्री कुछ सुझाव प्रेषित कर रही है। यदि उन्हें ध्यान में रखा जाए तो सरकारी योजनाएं सफल हो सकती हैं।

1. सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जिस तहसील या वार्ड स्तर पर हो उसे पुरस्कृत करना चाहिए।
2. विद्यालय स्तर पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ योगदान प्रदान करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।

3. विद्यालयों में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों द्वारा जागरूकता संबंधित एक कमेटी बनानी चाहिए जो प्रत्येक योजना के प्रति जागरूकता लाने का कार्य करे।

4. विद्यालय स्तर पर किये गये जागरूकता कार्यक्रमों (जिनसे इन योजनाओं के प्रति लोग जागरुक हो सके) उन्हें एक लघु फिल्म के रूप में मीडिया में साधनों द्वारा नियमित रूप से प्रसारित करना चाहिए।